

1021/19

1870 9
19-12-2019

संख्या-1018(1) 68-5-2019

प्रेषक
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
✓ शिक्षा निदेशक, बेसिक
उ०प्र० लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2019
विषय:- शैक्षिक सत्र 2019-20 में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०- 423/68-5-2017-2004/2013, दिनांक 07.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-4 में यह प्राविधानित किया गया था कि प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के 04 जनपदों के कुल 06 विकास खण्डों यथा-मोहनलालगंज (लखनऊ), सिधौली (सीतापुर), छियानबे (मीरजापुर), मटेरा, महसी एवं विश्वेश्वरगंज (बहराइच) के समस्त विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूनीफार्म की आपूर्ति उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपद मीरजापुर एवं बहराइच के चिन्हित विकास खण्डों में अभी तक शत-प्रतिशत यूनीफार्म का वितरण उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर के छियानबे तथा जनपद बहराइच के मटेरा, महसी एवं विश्वेश्वरगंज विकास खण्डों में कक्षा-1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र में अब तक शत-प्रतिशत यूनीफार्म उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अवशेष (छूटे हुए) छात्र-छात्राओं को विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस०एम०सी०) के माध्यम से निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति को निर्देशित कर दिया जाय।

4- शासनादेश सं०- 423/68-5-2017-2004/2013, दिनांक 07.06.2019 के प्रस्तर-4 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, मीरजापुर एवं बहराइच।
- 4- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर एवं बहराइच। (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०)
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अन सचिव।

30/12/19
20/12/19
20/12/19
19/12/19